(106)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 7001–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–5–2015 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 04/ब–105/11–12/47क(3).

.....

1–हरीश पस्तारिया पुत्र स्व0श्रीनर्मदा प्रसाद पस्तारिया
निवासी ई–2/175 अरेरा कॉलोनी भोपाल
2–गिरीश कुमार पस्तारिया पुत्र स्व.श्री नर्मदा प्रसाद पस्तारिया (मृत वारिसानः–)
निवासी ई–2/175 अरेरा कॉलोनी भोपाल
अ–श्रीमती नीता पस्तारिया पत्नी स्व0श्री गिरीश पस्तारिया
ब–मोहित पस्तारिया पुत्र स्व0श्री गिरीश पस्तारिया
स–कु0सौम्या पस्तारिया पुत्री स्व0श्री गिरीश पस्तारिया
सभी निवासी ई–7/19, अशोका सोसायटी, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन
द्वारा :– कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स भोपाल
2–कृष्णकांत पस्तारिया पुत्र स्व0श्री नर्मदाप्रसाद पस्तारिया
निवासी ई–2/175 अरेरा कॉलोनी भोपाल
3–रमाकांत पस्तारिया पुत्र स्व0श्री नर्मदाप्रसाद पस्तारिया
निवासी एच.आई.जी.07, आमेर कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर भोपाल
4–शशिकांत पस्तारिया पुत्र स्व0श्री नर्मदाप्रसाद पस्तारिया
निवासी फलेट नम्बर 101 मकान नम्बर 374, मधुबन,
साकेत नगर इंदौर

..... अनावेदकगण

.....

श्री संजीव शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 16/4/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक कमांक 1 एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा नजूल अधिकारी राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल के समक्ष व्यवहार न्याालय की डिकी एवं आदेश दिनांक 29–8–2011 के परिप्रेक्ष्य में अनावेदकगण का नाम विलोपित कर उनका नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नजूल अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 39/बी–121/11–12 दर्ज कर डिकी पर मुद्रांक शुल्क वसूली हेतु प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 04/ब–105/11–12/47क(3) दर्ज कर दिनांक 28–5–2015 को आदेश पारित किया जाकर मुद्रांक शुल्क रुपये 18,83,565/– निर्धारित किया जाकर एक प्रतिशत शास्ति रुपये 18,836/– अधिरोपित करते हुये कुल राशि रुपये 19,02,401/– जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 47–क के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है, जबकि उन्हें धारा 48–ख के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज करना चाहिये था। इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण को प्रश्नाधीन संपत्ति में पूर्व से ही अधिकार प्राप्त है और कोई नया अधिकार सृजित नहीं हुआ है इसलिये उनके द्वारा मुद्रांक शुल्क देय नहीं होने से भी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण आदेश है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मुद्रांक शुल्क की वसूली आवेदकगण से करने में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है, जबकि मुद्रांक शुल्क की वसूली अनावेदकगण से की जाना चाहिये । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित डिकी को हस्तान्तरण पत्र मानकर मुद्रांक शुल्क अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। इस कारण भी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश पूर्णतः विधि विरूद्ध होकर क्षेत्राधिकारी रहित आदेश है ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा मध्यप्रदेश लिखतों का न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, 1975 के नियम 4 एवं 5 के अन्तर्गत विधिवत् आवेदकगण को सूचना देकर स्थल निरीक्षण किया गया है और तदानुसार प्रश्नाधीन संपत्ति की स्थिति, संरचना एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये बाजार मूल्य अवधारित किया जाकर मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर